[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 7

(c) a residential complex predominantly meant for self-use or the use of their employees or other persons specified in paragraph 3 of the Schedule III of the Central Goods and Services Tax Act, 2017.		
(vii) Construction services other than (i), (ii), (iii), (iv), (v) and (vi) above.	18	-".

[F. No. 354/173/2017-TRU] RUCHI BISHT, Under Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification No. 8/2017 - Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, *vide* number G.S.R. 683(E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 20/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 22nd August, 2017 *vide* number G.S.R. 1049(E), dated the 22nd August, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2017

सं. 25/2017-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 1183(अ).—एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 9/2017-एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 684(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II के खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है; यथा:—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 84 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा, यथा-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"85	अध्याय 9996	फीफा अंडर -17 विश्व कप 2017 के तहत आयोजित होने वाले आयोजनों में प्रवेश के अधिकार के माध्यम से सेवाएं	कुछ नहीं	कुछ नहीं''.

[फा. सं. 354/173/2017–टी.आर.यू.]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं. 9/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 के माध्यम से सा.का.िन. 684(अ), 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार सा.का.िन. 1050(अ), दिनांक 22 अगस्त, 2017 के माध्यम से अधिसूचना सं. 21/2017–एकीकृत कर (दर), दिनांक 22 अगस्त, 2017, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2017

No. 25/2017-Intergrated Tax (Rate)

G.S.R. 1183(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 9/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 684(E), dated the 28th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the Table, after serial number 84 and the entries relating thereto, the following shall be inserted namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"85	Chapter 9996	Services by way of right to admission	Nil	Nil".
		to the events organised under FIFA U-		
		17 World Cup 2017.		

[F. No. 354/173/2017-TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification No. 9/2017- Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, *vide* number G.S.R. 684(E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 21/2017-Integrated Tax (Rate) dated the 22nd August, 2017 *vide* number G.S.R. 1050(E), dated the 22nd August, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2017

सं. 26/2017-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 1184(अ).—एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनिहत में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा एकीकृत माल एवं सेवा कर, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 के तहत परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 28 के तहत आने वाली हैवी वॉटर एंड न्यूक्लियर प्यूल्स की न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर लगने वाले संपूर्ण एकीकृत कर में छुट प्रदान करती है।

[फा. सं. 354/173/2017–टी.आर.यू.] रूचि बिष्ट. अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2017

No. 26/2017-Intergrated Tax (Rate)

G.S.R. 1184(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on being